न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी :– हरभान मीणा, आर.ए.एस

अपील संख्या – 139/2016/223 आरटीए

1. अन्जनी नाबालिग पुत्री स्व. राकेश कुमार पुत्र रामकुमार जाति कुम्हार निवासी रामपुरा उर्फ रामसरा तहसील टिब्बी जरिये वादमित्र श्रीमति कमला पत्नि रामकुमार जाति कुम्हार निवासी रामपुरा उर्फ रामसरा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
2. शिवानी नाबालिग पुत्री स्व. राकेश कुमार पुत्र रामकुमार जाति कुम्हार निवासी रामपुरा उर्फ रामसरा तहसील टिब्बी जरिये वादमित्र श्रीमति कमला पत्नि रामकुमार जाति कुम्हार निवासी रामपुरा उर्फ रामसरा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
3. ईश्वर नाबालिग पुत्री स्व. राकेश कुमार पुत्र रामकुमार जाति कुम्हार निवासी रामपुरा उर्फ रामसरा तहसील टिब्बी जरिये वादमित्र श्रीमति कमला पत्नि रामकुमार जाति कुम्हार निवासी रामपुरा उर्फ रामसरा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
4. राजवन्ती (पुत्री रामकुमार) पत्नि हंसराज जाति कुम्हार निवासी मसीतावाली तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
5. रीनू (पुत्री रामकुमार) पत्नि मांगीलाल जाति कुम्हार निवासी बुधवालिया तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।

––अपीलांट/तृतीय पक्षकार

बनाम

1. सरोज पत्नि स्व. राकेश कुमार जाति कुम्हार निवासी रामपुरा उर्फ रामसरा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

––रेस्पो0/वादिया

2. रामकुमार पुत्र स्व. आदूराम जाति कुम्हार निवासी रामपुरा उर्फ रामसरा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

––रेस्पो0/प्रतिवादी

3. तहसीलदार राजस्व टिब्बी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

––तरतीबी रेस्पो0

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 08.06.2016 न्यायालय सहायक कलैक्टर एंव उपखण्ड अधिकारी टिब्बी मु.न. 319/16 अनवानी सरोज बनाम रामकुमार आदि

उपस्थित :–

श्री लालचन्द वर्मा अधिवक्ता अपीलांटस
श्री राजेन्द्र निमिवाल अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 1
श्री रामकुमार कस्वां अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 2
श्री खुशकरण सिंह खोसा राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 3

निर्णय दिनांक 14.02.2018

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है कि रेस्पो0 सं. 1 ने रेस्पो0 सं. 2 के विरूद्ध अधिनस्थ न्यायालय में एक वाद अन्तर्गत धारा 88 आरटीए पेश किया कि रेस्पो0 सं. 2 के एक मात्र पुत्र राकेश था जो फौत हो गया तथा राकेश की एक मात्र वारिस रेस्पो0 सं. 1 है। रेस्पो0 सं. 1 ने रेस्पो0 सं. 2 के नाम राजस्व रिकार्ड मे चक 2 एजी मे 3.669

है0 मे रेस्पो0 सं. 2 के नाम दर्ज 1/3 हिस्सा के संबंध मे खातेदारी अधिकारो की घोषणा चाही गई रेस्पो0 सं. 2 ने उपस्थित होकर राजस्व अभियान कैम्प चाहूवाली मे राजीनामा प्रस्तुत किया तथा उसी दिन अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित कर रेस्पो0 सं. 2 के नाम दर्ज 1/3 हिस्सा की घोषणा रेस्पो0 सं. 1 के नाम कर दी, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील बतौर तृतीय पक्षकार पेश की है।

2. उभयपक्ष के अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

3. अधिवक्ता अपीलांट ने बहस में कथन किया कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री कतई गलत विधि विरूद्ध होने के कारण खारिज योग्य है। प्रश्नगत भूमि पैतृक सम्पति है जो अपीलांट के पड़दादा आदूराम से रेस्पो0 सं. 2 रामकुमार को विरासतन प्राप्त हुई है। अपीलांट के पिता स्व. राकेश कुमार का दिनांक 11.11.2015 को देहान्त हुआ है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानो के अनुसार स्व. राकेश कुमार वारिसान मे उनकी धर्मपत्नि अर्थात अपीलांट की माता ही एक मात्र वारिस नही है अपितु अपीलांट भी स्व. राकेश कुमार के प्रथम श्रेणी के वारिस है। रेस्पो0 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट को स्व. राकेश कुमार के प्रथम श्रेणी के वारिसान होने के बावजूद छिपाया है। प्रश्नगत भूमि रेस्पो0 सं. 2 को अपने पिता से विरासतन प्राप्त हुई है जिसमे उसकी पुत्रियों राजवन्ती व रीनू भी हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम मे सन् 2005 मे हुये संशोधन अनुसार सहदायिक है तथा प्रश्नगत भूमि इनका भी हित है। रेस्पो0 सं. 2 को प्रश्नगत भूमि मे अपने समस्त हिस्सा रेस्पो0 सं. 1 को खातेदार घोषित किये जाने मे सहमति देने का अधिकार नही था। रेस्पो0 सं. 1 व 2 ने परस्पर मिलीभगत कर अपीलांट के विधि अनुसार निहित हित को समाप्त करने के आशय से यह डिक्री कतई गलत रूप से प्राप्त की है। रेस्पो0 सं. 2 के नाम दर्ज चक 2 एजीम मे 1/3 हिस्सा मे स्व. राकेशकुमार, अपीलांट राजवन्ती व रीनू का रेस्पो0 सं. 2 के साथ बहिस्सा बराबर का हिस्सा था तथा इस प्रकार स्व. राकेश कुमार का संभावित हिस्सा 1/12 हिस्सा ही विधि अनुसार बनता

है तथा इस 1/12 हिस्सा मे अपीलांट सं. 1 ता 3 व रेस्पो0 सं. 1 बहिस्सा बराबर के अधिकारी है तथा प्रत्येक को 1/48 हिस्सा ही बनता है। अधीनस्थ न्ययालय के समक्ष रेस्पो0 सं. 1 ने तथाकथित पारिवारिक समझौता के संबंध मे कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही की तथा ना ही प्रश्नगत भूमि पर कथित किसी पारिवारिक समझौता के आधार पर अपने कब्जा के तथ्य को साबित किया है। प्रश्नगत भूमि आज भी रेस्पो0 सं. 2 के कब्जा काश्त मे है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी स्वीकार कर अपीलांट को प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान कर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 08.06.2016 अपास्त की जावें।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 1 ने अपनी बहस मे अपील मे वर्णित तथ्यो को अस्वीकार करते हुए कथन किया कि रेस्पो0 सं. 2 के एक मात्र पुत्र राकेश था जिसकी मृत्यु हो चुकी है तथा राकेश की एक मात्र वारिस रेस्पो0 सं. 1 है। रेस्पो0 सं. 2 के नाम चक 2 एजी मे अंकित भूमि 3.669 मे 1/3 हिस्सा दर्ज है। उक्त भूमि का पारिवारिक समझौता किया हुआ है तथा पारिवारिक समझौता के जरिये वादग्रस्त भूमि रेस्पो0 सं. 1 को प्राप्त हुई है परन्तु राजस्व रिकार्ड मे रेस्पो0 सं. 2 के नाम दर्ज होने के कारण रेस्पो0 सं. 1 को वित्तीय संस्थाओ से ऋण प्राप्त करने मे असुविधा हो रही थी जिसके कारण रेस्पो0 सं. 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष खातेदारी अधिकारो की घोषणा का वाद प्रस्तुत किया गया जिसमे रेस्पो0 सं. 2 जिसके नाम उक्त भूमि दर्ज है, द्वारा राजीनामा पेश किया गया तथा उक्त रेस्पो0 सं. 1 के नाम दर्ज करवाने बाबत सहमति दी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजीनामा के आधार पर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री के जरिये वाद स्वीकार किया गया है जो सही है। अतः अपील अपीलांट खारिज योग्य होने के कारण खारिज की जावें।

5. उभय पक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलाण्ट द्वारा यह उक्त अपील बतौर तृतीय पक्ष प्रस्तुत की है। अधीनस्थ न्यायालय मे अपीलाण्ट पक्षकार नही था इसलिए बतौर तृतीय पक्ष अपील प्रस्तुत करने की स्वीकृति

दी जानी विधि सम्मत होने के कारण प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी स्वीकार कर अपील प्रस्तुत करने की स्वीकृति दी जाती है। पत्रावली का अवलोकन करने के उपरांत निष्कर्ष है कि रेस्पो0 सं. 1 ने अपने ससूर रेस्पो0 सं. 2 के विरूद्ध दावा प्रस्तुत कर रेस्पो0 सं. 2 के एक मात्र राकेश कुमार होने का, राकेश फौत होने का कथन कर तथा राकेश का मात्र वारिस रेस्पो0 सं. 1/वादी होने का कथन कर रेस्पो0 सं. 2 के नाम दर्ज 1/3 हिस्सा भूमि की घोषणा का अनुतोष चाहते हुए अपीलांटस पक्षकार बनाये बिना ही वाद डिक्री करवाया गया जबकि वादग्रस्त भूमि पैतृक भूमि है तथा राजस्व अभिलेख मे 3.669 है0 मंगतूराम, लिछमन व रामकुमार पि. आदूराम के नाम से दर्ज यानि रेस्पो0 सं. 2 का 1/3 हिस्सा है। रेस्पो0 सं. 2 रामकुमार के वारिसान मे स्व. राकेश कुमार पुत्र व अपीलांट सं. 4 व 5 पुत्रियां है तथा स्व. राकेश कुमार की मृत्यु के बाद अपीलांटस सं. 1 ता 3 स्व. राकेश कुमार की जायज वारिसान है उक्त पैतृक सम्पति मे हक हिस्सा रखती है तथा आवश्यक पक्षकार थी। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय से अपीलांटस के हित प्रभावित हुये है। ऐसी स्थिति मे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना आवश्यक पक्षकारो संयोजित किये पारित अपीलाधीन निर्णय की पुष्टि किया जाना न्यायसंगत नही होने से तथा अपीलाधीन निर्णय से अपीलांटस के हित प्रभावित होने के कारण अपील अपीलांटस स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री को निरस्त किया जाना न्यायोचित है।

6. अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 08.06.2016 अपास्त किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय प्रमाणित प्रति सहित लौटाई जावें। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 14.02.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(हरभान मीणा आर.ए.एस.)

राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ

डिक्री व सीगे अपील
न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़
बइजलास हरभान मीणा आर0ए0एस0

अपील संख्या – 139 / 2016 / 223 आरटीए

1. अन्जनी नाबालिग पुत्री स्व. राकेश कुमार पुत्र रामकुमार जाति कुम्हार निवासी रामपुरा उर्फ रामसरा तहसील टिब्बी जरिये वादमित्र श्रीमति कमला पत्नि रामकुमार जाति कुम्हार निवासी रामपुरा उर्फ रामसरा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
2. शिवानी नाबालिग पुत्री स्व. राकेश कुमार पुत्र रामकुमार जाति कुम्हार निवासी रामपुरा उर्फ रामसरा तहसील टिब्बी जरिये वादमित्र श्रीमति कमला पत्नि रामकुमार जाति कुम्हार निवासी रामपुरा उर्फ रामसरा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
3. ईश्वर नाबालिग पुत्री स्व. राकेश कुमार पुत्र रामकुमार जाति कुम्हार निवासी रामपुरा उर्फ रामसरा तहसील टिब्बी जरिये वादमित्र श्रीमति कमला पत्नि रामकुमार जाति कुम्हार निवासी रामपुरा उर्फ रामसरा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
4. राजवन्ती (पुत्री रामकुमार) पत्नि हंसराज जाति कुम्हार निवासी मसीतावाली तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
5. रीनू (पुत्री रामकुमार) पत्नि मांगीलाल जाति कुम्हार निवासी बुधवालिया तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।

––अपीलांट / तृतीय पक्षकार

बनाम

1. सरोज पत्नि स्व. राकेश कुमार जाति कुम्हार निवासी रामपुरा उर्फ रामसरा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

––रेस्पो0 / वादिया

2. रामकुमार पुत्र स्व. आदूराम जाति कुम्हार निवासी रामपुरा उर्फ रामसरा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

––रेस्पो0 / प्रतिवादी

3. तहसीलदार राजस्व टिब्बी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

––तरतीबी रेस्पो0

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 08.06.2016 न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी टिब्बी मु.न. 319 / 16 अनवानी सरोज बनाम रामकुमार आदि

आज यह अपील रूबरू हाजिर श्री लालचन्द वर्मा अधिवक्ता अपीलांटस, श्री राजेन्द्र निमिवाल अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 1, श्री रामकुमार कस्वां अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 2 एवं श्री खुशकरण सिंह खोसा राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 3 की ओर से पेश होकर हुक्म हुआ है कि अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 08.06.2016 अपास्त किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय प्रमाणित प्रति सहित लौटाई जावें। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

डिक्री मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख 14.02.2018 को जारी की गई।

(हरभान मीणा आर..ए.एस.)
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ